देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 123 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...गुटबाजी को लेकर सवाल

पेज थ्री

देहरादून, बुधवार, 12 अगस्त 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 29.0° न्यूनतम 24.0°

38040.57 | 2 कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार | 7 दुनिया में सबसे बेस्ट बोलर हैं बुमराह

संक्षिप्त समाचार

मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इंदौर। मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अगले ही दिन उनका निधन हो गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। प्रदेश के सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। दरअसल, राहत इंदौरी पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी।

वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हालत नाजुक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए की गई इस सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया कि अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सर्जरी से पहले 84 साल के मुखर्जी का कोरोनावायरस टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में 10 अगस्त को 12.07 बजे गंभीर हालत में भर्ती किया गया। उनकी चिकित्सीय जांच में उनके दिमाग में बड़ा सा थक्का नजर आया है जिसके लिए उनकी आपातकालीन जीवनरक्षक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

बुलंदशहर की टॉपर छात्रा की छेड़छाड़ में मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बुलंदशहर। पढ़ाई में होनहार सुदीक्षा भाटी ने दो साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुलंदशहर जनपद टॉप किया था। स्कॉलरशिप मिली तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। मेहनत के बल पर एक शानदार करियर उनके सामने था। लेकिन कुछ मनचले लड़कों की छेड़खानी ने इस प्रतिभा को हमेशा के लिए बुझा दिया।

बेटियों को संपत्ति में बराबर हक

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर दिया बड़ा फैसला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। उसने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकददार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा।

पहले क्या था नियम?: हिंदू सक्सेशन ऐक्ट, 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत, बेटी तभी अपने पिता

■पिता की मृत्यु तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार

की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर, 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेन-देन नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर, 2005 को जिंदा नहीं थे, तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी, 9 सितंबर, 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस होने का अधिकार नहीं छिनेगा।

बेटी कब पैदा हुई, कोई फर्क नहीं: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर, 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है- पैतृक और स्वअर्जित।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

देश में 9 सितंबर, 2005 से हिंदू उत्तराधिकार कानून, 2005 लागू हुआ है। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर, 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना हो होगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हों या नहीं।

अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है: अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ-साथ अन्य लोग आते हैं।

बेटी की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी मृत्यु भी 9 सितंबर, 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता (नाना) की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लें तो वो इसका दावा ठोक सकते हैं, उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी।

रूस ने बना ली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मास्को। लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टिट्यूट ने एडेनोवायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की है।

रूस का दावा है कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं, वे खुद को रेप्लिकेट (कॉपी) नहीं कर सकते। रिसर्च और मैनुफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन

पुतिन की दोनों दोनों बेटियों को भी टीका लगा

रूस के राष्ट्रपति ने कहा, इस सुबह दुनिया में पहली बार, नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी दोनों बेटियों को भी टीका लगा है। वे ठीक महसूस कर रही हैं। उधर, रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है, वह दुनियाभर के गले नहीं उतर रही। इसी हफ्ते से यह वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी मगर वहीं पर इसका विरोध होने लगा है।

की डोज दी है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है जिसके लिए पैरासिटामॉल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

मल्टीनैशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको को भेजी चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है, ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है।

20 साल की मेहनत का नतीजा सेशेनॉव यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासॉव ने दावा किया है कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के काम में लगा हुआ है।

ज्यादा टेस्टिंग से ही कोरोना को दे पाएंगे मातः पीएम

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। पीएम ने बैठक में इन राज्यों को कोरोना से जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये 10 राज्य कोरोना को हरा दें तो देश जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 केस की 72 घंटे में पहचान और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं। पीएम के साथ बैठक में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के सीएम शामिल हुए।

दिल्ली सरकार पर पीएम मोदी का तंज: बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि हरियाणा, यूपी के कुछ जिले और दिल्ली में एक समय ऐसा आया कि अब कोरोना काबू में नहीं आएगा। दिल्ली सरकार ने तो ऐसी घोषणा की कि बहुत बड़ा संकट आएगा। पीएम ने कहा, लेकिन हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। दिल्ली कार्ययोजना पर काम किया गया और हमें सफलता मिली। आज हम सबका प्रयास सामने है।

देश में कोरोना के केस साढ़े 22 लाख से ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश में नए केस की रफ्तार बुहत तेज है।

कोरोना अपडेट

देश में साढ़े 22 लाख के पार पहुंचा कोरोना

72 घंटे में केस की पहचान और टेस्टिंग जरूरी: पीएम ने कहा कि बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तेलंगाना में टेस्टिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कंटैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सबसे प्रभावी हथियार है। हम सब कोशिशों से अच्छे परिणाम की ओर आगे बढ़े हैं। शुरुआत के 72 घंटे में केस की पहचान कर लें तो इसका संक्रमण नहीं फैल सकता है।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

सुशांत केस में सुको ने रखा फैसला सुरक्षित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुबंई। बॉलिवुड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई इस पर अपना आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दे सकता है। केस

सीबीआई कर सकती है जांचः तुषार मेहता

की सुनवाई शुरुआती तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के बाद शुरू हुई थी। इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने-अपने पक्ष रखे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक लिखित याचिकाएं दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अपने पक्ष में तुषार मेहता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में अगर कोई एक केंद्रीय एजेंसी मामला रजिस्टर कर लेती है दूसरी सीबीआई भी केस की जांच में शामिल होना चाहिए।